



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-1962/JH/15/2024-APCR-RU-IV

दिनांक :01.05.2025

सेवा मे

श्रीमती विमला देवी,
ग्राम महुडंड -, पोस्ट रतनाग -
जिलापलामाउ -, झारखंड
मो: .8986809878

विषय : अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के जमीन के हड़पने के उद्देश्य से रास्ता रोकने, जाति सूचक शब्द कहने तथा घर में घुस कर घर की महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करने के संदर्भ में

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **16.05.2025 समय 02:40 P.M** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ NIC for uploading